राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं
2 जलपथ, गांधीनगर जयपुर

क्रमांकः– एफ. 11 (7) (8) निरी./आईसीडीएस/16/127650-682 जयपुर, दिनांकः 11-7-18

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः– आंगनबाडी केंन्द्रों पर किये गये सभी निरीक्षणो की संकलित रिपोर्ट भिजवाने बाबत।
प्रसंगः– पूर्व पंत्राक 51584–920 दिनांक 26.04.16 व 74256–593 दिनांक 04.06.16 एवं 52090–122 दिनांक 05.04.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत एंव प्रांसगिक पत्र के क्रम में आप मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशो की अक्षरशः पालना सुनिश्चित् करावें तथा आंगनबाडी केंन्द्रों में किये गये सभी प्रकार के निरीक्षणो की सूचनाओं का जिला स्तर पर नियमित रूप से परियोजनावार संकलन, प्रबोधन एवं अनुपालन करना भी सुनिश्चित् करें।

विभागीय स्तर पर किये जा रहे आंगनबाड़ी केन्द्र निरीक्षणों के संदर्भ में रिपोर्टिंग हेतु विभागीय निर्देश दिनांक 01.05.17 के द्वारा राजधारा के माध्यम से ऑनलाईन मॉनिटरिंग व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू की हुई है। विभागीय अधिकारियों के भ्रमण, दौरे इत्यादि की सूचनाऐ प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देश के अनुक्रम में विभागीय आदेश दिनांक 17.04.18 के द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर टयूर मॉड्यूल्स मे अनिवार्यतः दर्ज करने की ऑनलाईन व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू की हुई है।

अतः उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको निर्देश दिये जाते है कि विभागीय तय लक्ष्यो के अनुरूप दौरे, निरीक्षण कर संबंधित सूचनाए केवल उक्त व्यवस्था के अनुसार ही नियत समय पर मुख्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

निदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ. 11 (7) (8) निरी./आईसीडीएस/16/127683 जयपुर, दिनांकः 11-7-18
प्रतिलिपिः–ए.सी.पी. एवं उप निदेशक, मुख्यालय, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)